भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2114
31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की समीक्षा

†2114. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र के वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, में स्थापित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त केंद्रों में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त केंद्रों की कोई समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने देश में मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कोई नई राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार देश में उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके 1,86,298 एएएम कार्यशील किए जा चुके हैं। देश में महाराष्ट्र सहित कार्यशील एएएम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक** में है। महाराष्ट्र के वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वाशिम जिले में 166 एएएम और यवतमाल जिले में 472 एएएम कार्यशील किए गए हैं।

एएएम देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के 12-पैकेज प्रदान करते हैं, जिसमें प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं, संचारी रोग, गैर-संचारी रोग (एनसीडी), उपशामक परिचर्या और वृद्धजन परिचर्या, सामान्य मानसिक विकार परिचर्या, न्यूरोलॉजिकल स्थितियां (मिरगी, डिमेंशिया) और मादक पदार्थ उपयोग विकार प्रबंधन (तंबाकू, शराब, ड्रग्स), मुख स्वास्थ्य, ईएनटी परिचर्या, और बुनियादी आपातकालीन परिचर्या शामिल हैं। विस्तारित सेवाओं को पूरक बनाने के लिए देश में पीएचसी-एएएम में

179 दवाएं और 63 निदान तथा एसएचसी-एएएम में 113 दवाएं और 14 निदान उपलब्ध कराने के लिए दवाओं और निदान की आवश्यक सूची का विस्तार किया गया है।

नीति आयोग द्वारा संचालित एएएम कार्यक्रम के हालिया मूल्यांकन में कई उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं, जिनमें सेवा प्रदायगी में महत्वपूर्ण सुधार और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक व्यापक पहुंच के कारण समुदायों में लोगों की उपस्थिति में वृद्धि शामिल है। ये लाभ मुख्य रूप से सुदृढ़ एनसीडी प्रबंधन, बेहतर सामान्य ओपीडी सेवाओं और लोगों के घरों के समीप निःशुल्क दवाओं और निदान की उपलब्धता के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए हैं। इन कार्यकलापों ने सामूहिक रूप से स्वास्थ्य परिचर्या के लिए जेब से होने वाले खर्च में क्रमिक कमी में योगदान दिया है।

(घ): भारत सरकार ने देश में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एनएचएम के तहत विभिन्न पहलें शुरू की हैं। मुख्य उपाय निम्नानुसार हैं:

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके):** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में निःशुल्क, कैशलेस प्रसव (सीज़ेरियन सहित), निदान, दवाएं, आहार, परिवहन और रक्त आधान प्रदान करना, साथ ही बीमार शिशुओं के लिए भी समान लाभ उपलब्ध कराना।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए):** इसमें प्रत्येक महीने की 9 तारीख को विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निःशुल्क, सुनिश्चित प्रसव-पूर्व जांच प्रदान की जाती है, जिसमें उच्च-जोखिम वाली गर्भधारण की पहचान और प्रबंधन पर जोर दिया जाता है।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन):** यह गर्भवती महिलाओं और नवजातों को सेवाओं से वंचित करने के प्रति शून्य सहनशीलता के साथ, नि:शुल्क, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है।
- **प्रसवोत्तर देखभाल पहल:** इसमें आशाकर्मियों की सहायता से उच्च-जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं का शीघ्र पता लगाने, रेफरल और प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाता है।
- **एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी):** जीवनचक्र दृष्टिकोण के माध्यम से बच्चों, किशोरों, प्रजनन आयु की महिलाओं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में एनीमिया का उपचार किया जाता है।
- **पोषण और बाल स्वास्थ्य क्रियाकलाप**: इसमें मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन (एमएए), स्तनपान प्रबंधन केंद्र, विटामिन ए अनुपूरण, गृह आधारित नवजात परिचर्या (एचबीएनसी)/छोटे बच्चों हेतु गृह आधारित परिचर्या कार्यक्रम (एचबीवाईसी) और मिशन पोषण 2.0 शामिल हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यशील एएएम की संख्या:

क्र.सं.	राज्य का नाम	कार्यशील एएएम की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	129
2	आंध्र प्रदेश	11,873
3	अरुणाचल प्रदेश	510
4	असम	4,966
5	बिहार	12,444
6	चंडीगढ़	60
7	छत्तीसगढ़	5,898
8	दिल्ली	389
9	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	88
10	गोवा	310
11	गुजरात	10,625
12	हरियाणा	3,272
13	हिमाचल प्रदेश	2,845
14	जम्मू और कश्मीर	3,173
15	झारखंड	4,181
16	कर्नाटक	10,137
17	केरल	7,207
18	लद्दाख	321
19	लक्षद्वीप	13
20	मध्य प्रदेश	12,775
21	महाराष्ट्र	13,457
22	मणिपुर	420
23	मेघालय	641
24	मिजोरम	416
25	नागालैंड	485
26	ओडिशा	7,379
27	पुदुच्चेरी	133
28	पंजाब	3,322
29	राजस्थान	14,494
30	सिक्किम	183
31	तमिलनाडु	8,454
32	तेलंगाना	5,038
33	त्रिपुरा	1,133
34	उत्तर प्रदेश	23,646
35	उत्तराखंड	2,364
36	पश्चिम बंगाल	13,517
	कुल	**1,86,298**
